



न्यायालय समक्ष मानवीय राजस्व मण्डल ग्रालियर केम्प-भोपाल म.प्र.

प्र०क०...../निगरानी/15-16

01. दिलीप जायसवाल आ. श्री लक्ष्मीनारायण  
जायसवाल निवासी-प्लाट नं. 130, सेक्टर "सी"  
शहपुरा भोपाल.
02. शिवगोपाल सूर्यवंशी आ. श्री सरईराम  
सूर्यवंशी निवासी-ई-6/5-सी, चार इमली भोपाल.
03. श्रीमती पुष्पा चौकसे पत्नी श्री एस.एस.  
चौकसे निवासी-फ्लेट नं. 105, आनंद मंगलम  
अपार्टमेन्ट विजय नगर लालधाटी भोपाल.
04. चंद्रशेखर आ. श्री लक्ष्मीनारायण  
निवासी-ई-6/5-सी, चार इमली भोपाल.
05. संतोष आ. श्री रामलखन  
निवासी-फ्लेट नं. 105, आनंद मंगलम  
अपार्टमेन्ट विजय नगर लालधाटी भोपाल.
06. श्यामसुब्दर आ. श्री मोहनलाल  
निवासी-फ्लेट नं. 105, आनंद मंगलम  
अपार्टमेन्ट विजय नगर लालधाटी भोपाल.
07. श्रीमती रशिम जायसवाल पत्नी  
श्री चंद्रशेखर निवासी ई-6/5-सी,  
चार इमली भोपाल.

निः-१२६-१५८१६

.....निगरानीकर्तव्यग्रन्थ

### विरुद्ध

01. देवीप्रसाद
02. अनोखीलाल
03. जयराम
04. रमेश कं. 1 से 4 पुत्रगण स्व.  
श्री गुटटीलाल समस्त निवासी-ग्राम  
बैरागढ चीचली तहसील कोलार रोड  
तहसील हुजूर भोपाल.
05. मांगीलाल आ. स्व. श्री मिट्टूलाल
06. सत्यबारायण
07. थान सिंह
08. शैतान सिंह कं. 5 से 8 पुत्रगण स्व.  
श्री सीताराम निवासी ग्राम बैरागढ  
चीचली कोलार रोड भोपाल.

विरुद्ध...2.....

OK

09. मेसर्स ऊबेजा प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा  
एस.के. अरोड़ा पता कार्या 56-58,  
कम्यू. सेन्टर इंस्ट आफ कैलाश नड्डी दिल्ली
10. श्रीमती जगदीश राय पत्नी श्री ब्रिगेडियर राय  
निवासी-बेतवा अपार्टमेंट न्यू मार्केट भोपाल.
11. श्रीमती सुकिया अरोड़ा पत्नी श्री अक्षय  
अरोड़ा व हैसियत पार्टनर अरोड़ा ऐसोसियेट  
पता शालीमार भवन 6, मालवीय नगर भोपाल.
12. श्रीमती आशाबाई पत्नी श्री दिनेश जायसवाल  
निवासी- बारा पत्थर जिला-सिवनी म.प्र.
13. सर्वसाधारण

..... रेस्पोन्डेंट

:: निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ::

महोदय,

सेवा में यह निगरानी श्रीमान् तहसीलदार तहसील ठुजूर वृत्त-3 जिला भोपाल  
द्वारा प्रकरण कं. 24/अ-6-अ/15-16 में पारित अलोच्य आदेश दिनांक 07.05.16 से  
परिवेदित होकर अंदरम्याद प्रस्तुत की जा रही है :-

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2126-पीबीआर / 2016

जिला भोपाल

रखान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

गमकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

04-07-2016	<p>आवेदकगण अधिवक्ता की ओर से ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-5-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के निराकरण के लिये साक्ष्य आवश्यक है, परन्तु आवेदक बिना साक्ष्य के इसी स्तर पर प्रकरण समाप्त कराना चाहता है, जिसमें कि प्रथगदृष्ट्या किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।</p>	
------------	--	--

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष